## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT INDORE BEFORE

## HON'BLE SHRI JUSTICE VIVEK RUSIA

# ON THE 25<sup>th</sup> OF APRIL, 2024

### WRIT PETITION No. 7995 of 2023

#### **BETWEEN:-**

#### SAROSH RATAN SHAH S/O LATE SHRI RATAN SHAH THROUGH HIS GUARDIAN ROBIN RATAN SHAH S/O LATE SHRI RATAN SHAH, AGED ABOUT 73 YEARS, 67 JAWAHAR NAGAR, SHANTI NAGAR COLONY PITHAMPUR NEEMUCH ROAD, MHOW (MADHYA PRADESH)

**.....PETITIONER** 

(BY SHRI SAURABH SHRIVASTAVA, ADVOCATE)

#### AND

- 1. ZONAL PENSION OFFICER INDORE DIVISION DISTRICT INDORE (MADHYA PRADESH)
- 2. BLOCK EDUCATION OFFICER DR. AMBEDAR NAGAR, MHOW (MADHYA PRADESH)
- 3. DISTRICT EDUCATION OFFICER INDORE (MADHYA PRADESH)
- 4. STATE OF MADHYA PRADESH THROUGH THE COLLECTOR INDORE (MADHYA PRADESH)
- 5. JOINT DIRECTOR DEPARTMENT OF EDUCATION INDORE DIVISION, INDORE (MADHYA PRADESH)

.....RESPONDENTS

#### (BY SHRI RAJWARDHAN GAWDE, GOVERNMENT ADVOCATE)

This petition coming on for hearing this day, the court passed the

following:

## O R D E R

The petitioner through guardian Robin Ratan Shah has filed the present petition seeking family pension on account of death of her mother namely Sukriti Devi on 04.08.2016.

02. After issuance of notice, the Divisional Pension Officer passed an order dated 09.02.2024 for grant of pension to the petitioner under Rule 47(6)(iv) of the Madhya Pradesh Civil Services (Pension) Rules, 1976

03. Learned Government Advocate for the respondents / State has also produced the copy of order dated 09.02.2024 and the same is reproduced below:-

कार्या	लय संभागीय पेंशन आ	होकारी दन्दौ	र ज्यंभाग दन्हौर
202, से	देलाइट भवन नवीन प्रशासनिक संकृत. इन्दोर दू संपेअ / पेशन / 2024 /	ल्पात्र : 0731-2473315, Em इंदीर, f	all ; dpoind11@gmail.com
	शाखा प्रबंधक, सेन्द्ल बैक ऑफ इंडिया सीपीपीसी, क्षेत्रीय कार्यालय द्वितीय 9 अरेरा हिल्स भोपाल म0प्र0	तल	
विषय :	रच श्रीमती सुकीर्ति सत्तर से०नि० र मे पुत्र श्री सरोश रतन शॉ (मानसि करने विषयक ।	सहायक शिक्षक,धारक ाक विकलांग) को पाँ	पीपीओ कमांक 1788 रेवार पेंशन स्वीकृत
संदर्भ :	जिला शिक्षाधिकारी जिला इंदौर व	ज पत्र कमांक 442 f	देनॉक 06.02.2024
इंदौर से प्र 2016 को न परिवार पेश देघ संरक्षक ख जारी की जा स्वयं जवाब नगागीयक/द	उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित क्षिक,(धारक पीपीओ कमाक 1788) एत हो रही थी । (खाता कमांक 16 हो जाने के फलस्वरूप उनके मान न स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव संदर्भि यंशन नियम 1976 के नियम 47(6 अनुसार श्री सरोश रतन शॉ जन्म श्री रॉबिन शॉ (भाई) के माध्यम से प्रस्त स्वीकृति विभागीय प्रस्ताव एव रही हैं । इसकी प्राथमिकता एवं दार होगे तथा यह स्वीकृति वैधानिक दस्तावेज एवं साक्ष्य हेतु न शॉ (मानसिक विकलांग) को प्र	को पेंशन सेन्द्रल बैंब 573732872) तथा उ सिक विकलांग पुत्र त पत्र द्वारा प्राप्त हु (प्र) के अनुसान दिनांक 05.06.196 भुगतान करने की ब अनुशंसा के आध सत्यता के लिये सं परिवार पेंशन के मान्य नही होगी तथ	क ऑफ इंडिया शाखा मंहू नकी मृत्यु दिनांक 0408. श्री सरोश रतन शॉ को आ हैं । र तथा विभागीय अनुसंशा 2 को परिवार पेंशन इनके रवीकृति दी जाती हैं । ार पर पेंशन प्रयोजन हेतु बंधित विभाग एवं हितयाही अतिरिक्त अन्य किसी या विकलांग परिवार पेंशनर
<ol> <li>आय</li> <li>शासन</li> <li>शासन</li> <li>म०प्र</li> <li>मेरानर श्री सरो</li> <li>चिकित्सा पदाधि</li> <li>अशक्तता से नि</li> </ol>	को कोई भी स्त्रोत नहीं हैं । कीय/अर्धशासकीय सेवा में निये 0 सिविल सेवा पेंशन नियन 19 शि रतन शॉ (मानसिक विकलांग वेकारी से प्रत्येक पांच वर्ष में इस रिंतर ग्रस्त्र होकर आजीविका च बिंदुओं की पूर्ति पश्चात ही संब	76 नियम (47) (6 ) से सिविल सर 1 आशय का प्रमाप लाने योग्य नहीं 1	र्जन के समकक्ष अथवा उच्च ग पत्र प्रस्तुत करेगा कि यह हैं ।
संलग्नः- बैंक प	ासबुक∕पीपीओ की छाय प्रति,		Std संभागीय पेंशन अधिकारी इंदौर संभाग इंदौर
-			the second se

04. In view of the above, as the relief claimed by the petitioner has already been granted, the present Writ Petition stands disposed

of. Let the pension be started forthwith.

(VIVEK RUSIA) J U D G E

Ravi